कार्यालय केन्द्रीय नजारत सिविल कोर्ट बलिया ।

नीलामी नोटिस

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय परिसर में स्थित 04 अदद पूड़ी मिठाई चाय नमकीन की दूकान 03 अदद फोटोस्टेट की दूकान 01 अदद सत्तू की दूकान 01 अदद भूजा दाना की दूकान तथा 01 अदद निगेटिव से फोटो वनाने की दूकान की नीलामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये की जानी है । जिसकी नीलामी हेतु पूर्व में दिनाकं 28।03।2020 को तिथि नियत की गयी थी परन्तु वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकमण से वचाव हेतु घोषित लकडाउन के कारण न्यायालय दिनाकं 22।03।2020 से वन्द होने के कारण नीलाम की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । उक्त दूकानों की नीलामी हेतु पुन: दिनाकं 18।05।2019 की तिथि नियत की जाती है । उक्त दूकानों की नीलामी दस कक्षीय न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में दिनाकं 18।05।2020 को समय 12.30 वजे दोपहर से खुली वोली के आधार पर नीलाम की जायेगी ।

अत: जिन महानुभाव को उपरोक्त वर्णित दूकानों की नीलामी लेनी हो वे दिनाकं **18।05।2020 को** समय 12.30 वजे दोपहर को दस कक्षीय न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में उपस्थित आकर नीलामी में भाग लेकर नीलामी ले सकते हैं।

नीलामी की शर्ते

1 जिस व्यक्ति का वोली सवसे अधिक होगा नीलाम की कार्यवाही उसके पक्ष में सम्पादित की जायेगी ।

2 प्रत्येक वोलीकर्ता को अपने आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल करना होगा एवं मूलप्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा ।

3 प्रत्येक वोलीकर्ता अपनी वोली से वाध्य होगा भले हो वह ऊँची हो या नीची तथा यह भली भाँति समझना चाहिए कि नीलमी की राशि माफी पर किसी परिस्थिति में विचार नही किया जायेगा।

4 जिस व्यक्ति का वोली सवसे अधिक होगा उसके पक्ष में नीलाम की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी , वोली की सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 धनराशि तत्काल जमानत के रूप में तथा पहली किश्त नीलाम अनुमोदित होने एक सप्ताह के अन्दर, द्वितीय किश्त सितम्वर के प्रथम सप्ताह, तीसरी किश्त नवम्वर 2020 के प्रथम सप्ताह तथा चौथी किश्त जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह तक जमा करना अनिवार्य होगा । किसी भी किश्त को समय से जमा न करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकार होगा कि नीलामी निरस्त करके उक्त दूकान को पुन: नीलाम की प्रकिया अपनायी जाकर नीलाम कर दी जायेगी तथा पुन: नीलामी में हुए घाटे को पूर्ववर्ती ठेकेदार से वसूल की जायेगी ।

5 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि किसी भी वोली को विना कारण वताये निरस्त कर सकते है तथा अपरिहार्य परिस्थितयों में दूकान का स्थान वदल सकते हैं जिसमें किसी को कोई एतराज नही होगा ।

6 जो दूकाने वित्तीय वर्ष 2019-20 में नीलाम हुई थी, प्रत्येक दूकान की नीलामी धनराशि वर्ष 2020-21 हेतु सरकारी बोली नियत की जाती है ।

ह० अध्यक्ष 8/5/2020
नीलाम समिति / अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय
वलिया ।

प्रतिलिपि निम्नाकिंत स्थानों पर चस्पा किये जाने हेतु

1 माननीय जनपद न्यायाधीश वलिया के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2 जिलाधिकारी वलिया के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
3 जिला पंचायत परिषद /नगर पंचायत परिषद के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
4 लो0नि0वि0 वालिया के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
5 अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हेतु ।
6 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
7 मा0 उच्च न्यायालय तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु

ह० अध्यक्ष
नीलाम समिति / अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय
वलिया ।